भारतीय आन्तरिक सुरक्षा पर नक्सलवादी प्रभाव

डॉ0 सच्चिदानन्द राम
एसोसिएट प्रोफेसर, रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन विभाग
कुवँर सिंह पी0जी0 कालेज, बलिया

शोध–सार

वर्तमान समय में नक्सलवाद, साम्यवादी, उग्रवाद के रूप में भारत के लगभग 13 राज्यों के 170 जिलों, लगभग 45 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या एवं लगभग 40 प्रतिशत प्रभावित भू–भाग वाले क्षेत्र में फैल चुका है और लगातार अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करता जा रहा है। 1966 में भारत के दार्जिलिंग से नक्सलवाद प्रारम्भ होकर त्रिपुरा आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखण्ड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश समेत 13 राज्यों में अपनी जड़ जमा चुका है। नक्सलवाद प्रभावित राज्यों में वामपंथी उग्रवाद की खतरनाक प्रवृत्ति अनेक स्थानों पर समानान्तर सत्ता के रूप में दिखने भी लगी है।

नक्सलवाद एवं तत्सम्बन्धित विषयों में जो भी पूर्ववर्ती अध्ययन हुए हैं वे क्षेत्र विशेष की विभिन्न परिस्थितियों के कारण हर स्थान के लिए प्रासंगिक नहीं है चूंकि नक्सलवाद एवं आंतरिक सुरक्षा का स्वरूप दिन–प्रतिदिन बदलता जा रहा है अर्थात समस्या की प्रकृति परिवर्तनशील है। अतः ऐसे में इस पर क्षेत्रवार निरन्तर शोध की आवश्यकता है। उपर्युक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि नक्सलवाद की चुनौती देश में व्याप्त सामाजिक–आर्थिक असमानता और असंतुलित नीतियों के कारण ही है।

अगर सरकार मानवीय आधारों पर विकास की योजनाओं को ईमानदारी से लागू करने में सफल होती हैं तो नक्सलवाद समाप्त किया जा सकता है। उपरोक्त सुझावों के अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि राज्यों के सुरक्षा बलों की प्रशिक्षित इकाईयां तैयार करने के लिए जो धन केन्द्र सरकार ने खर्च करने का आश्वासन दिया है उसे विशेष पैकेज के रूप में तत्काल राज्यों को सौंप दिया जाय और इस धन का ये राज्य सरकारें परिवहन तथा संचार व्यवस्था सुधारने तथा शिक्षा की सुविधायें बढ़ाने तथा बेरोजगारी खत्म करने पर खर्च करें क्योंकि विकास कार्यों की कमी के कारण ही नक्सलाद को पनपने में सहायता मिल रही है।

भारत की एकता और अखण्डता के लिए विद्यमान समस्याओं में आतंकवाद, अलगाववाद के साथ नक्सलवाद एक गम्भीर चुनौती बन चुका है। विगत कुछ वर्षों तक नक्सलवाद को एक क्षेत्रीय समस्या माना जाता था लेकिन अब यह एक राष्ट्रीय समस्या का रूप धारण कर चुका है। वर्तमान समय में नक्सलवाद, साम्यवादी, उग्रवाद के रूप में भारत के लगभग 13 राज्यों के 170 जिलों, लगभग 45 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या एवं लगभग 40 प्रतिशत प्रभावित भू–भाग वाले क्षेत्र में फैल चुका है और लगातार अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करता जा रहा है।

1966 में भारत के दार्जिलिंग से नक्सलवाद प्रारम्भ होकर त्रिपुरा आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखण्ड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश समेत 13 राज्यों में अपनी जड़ जमा चुका है। नक्सलवाद प्रभावित राज्यों में वामपंथी उग्रवाद की खतरनाक प्रवृत्ति अनेक स्थानों पर समानान्तर सत्त के रूप में दिखने भी लगी है। वामपंथी उग्रवादी आज लगभग नौ प्रदेशों में समानान्तर सरकार चलाने की स्थिति में पहुँच गये हैं, जो क्रमशः वर्ग संघर्ष (शोषित बनाम शोषक) सर्वहारा वर्ग बनाम अभिजात्य वर्ग साम्यवादी हिंसक विचारधारा बनाम प्रजातान्त्रिक प्रणाली पर आधारित हो गया

है। नक्सावाली हिंसात्मक आन्दोलन अब राज्य सरकारों एवं केन्द्र सरकार के अनेक प्रयासों के बावजूद नासूर की भांति अन्य क्षेत्रों में भी फैल रहा है।

नक्सलवाद या नक्सलवादी आतंक का आशय है, माओवादी क्रांतिकारी वामपंथी दर्शन से प्रेरित आतंकवाद, जिसका लक्ष्य सामाजिक आर्थिक न्याय पर आधारित व्यवस्था की स्थापना करना। माओ की इसी विचारधारा से प्रेरित होकर चारू मजूमदार एवं कनु सान्याल ने पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलवाड़ी गाँव में क्रान्तिकारी गतिविधियों की शुरूआत की इसलिए इसे नक्सलवाद कहा गया। नक्सलवादियों ने लोकतांत्रिक राजनीति का पूर्ण विरोध करते हुए जनक्रान्ति पर बल दिया है। इसके लिए उन्होंने भूमिहीन कृषकों को संगठित कर गुरिल्ला पद्धति द्वारा भूपतियों या जमींदारों के विरूद्ध खूनी संघर्ष का तरीका अपनाया इस तरह भारत में नक्सलवादी आन्दोलन 1966 से प्रारम्भ होकर त्रिपुरा, आन्ध्रप्रदेश, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखण्ड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में फैल गया है। नक्सली संगठनों को अन्य आतंकी संगठनों और पड़ोसी देशों से धन और हथियारों की व्यापक आपूर्ति हो रही है।

वास्तव में नक्सलवाद कोई दार्शनिक सिद्धान्त नहीं है, यह एक साधन है जिसके मेल में किसी सामाजिक या राजनीतिक परिवर्तन की आकांक्षा निहित रहती है यह एक हिंसक नीति है जिसमें हिंसा के माध्यम से जनता में या समाज में आतंक फैलाया जाता है। इसमें हिंसा का प्रयोग जानबूझकर किया जाता है, यद्यपि इसकी हिंसा क्रान्ति की हिंसा की परिणिति से अलग होती है लेकिन फिर भी यह एक प्रकार से राजनीतिक हिंसा की अभिव्यक्ति है। नक्सली कार्यवाहियों का एक अर्न्तनिहित लक्ष्य होता है, भय का वातावरण निर्मित कर तथा राजनीतिक रियायतों के लिए विरोधियों पर दबाव डालना और इसके लिए, निर्दोष लोगों को भी हिंसा का शिकार बनाया जाता है।

नक्सलवाद को प्रायः समुचित सामाजिक समर्थन मिलता है लेकिन यह समर्थन भी कमोवेश भय की उपज होती है क्योंकि आतंकग्रस्त लोगों में समर्पण तो पाया जा सकता है परन्तु ऐसे समर्थकों का सहयोग नहीं जो नितान्त निजी हित को समाज के वृहत्तर हित हेतु बलिदान करने को तत्पर रहते हैं, यही कारण है कि नक्सलवाद कभी सत्ता परिवर्तन में कामयाब नहीं हो पाता और यदि किसी तरह नक्सलवादी कभी सत्ता परिवर्तन में कामयाब नहीं हो पाता और यदि किसी तरह नक्सलवादी प्रवृत्ति के लोगों की घुसपैठ सत्ता में हो जाती है तो सत्ता का उपयोग सकारात्मक न होकर अत्याचारी और विध्वंसक रूप धारण कर लेता है।

यह देखा गया है कि 95 प्रतिशत नक्सलवादी घटनाओं में बुनियादी रणनीतियां अपनायी गयी। वर्तमान समय में भारत के विभिन्न भागों में कार्यरत नक्सली संगठन अपने कार्यवाहियों को अंजाम देने के लिए मुख्यतः 3 तरीकों पर प्रयोग कर रहे हैं जो निम्नलिखित है :–

- संचार सेवा नष्ट करना इससे न केवल जनता का ध्यान उनकी ओर आकृष्ट होता है बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था भी अस्त–व्यस्त हो जाती है। इसके अन्तर्गत रेलवे की पटरी हटा देना विद्युत पोल, विद्युत–गृहों को उड़ा देना टेलीफोन लाइनों को नष्ट कर देना, ट्रेन, बसों में बम रखना, उनको ध्वस्त कर देना, स्टेशनों, सार्वजनिक स्थानों अथवा अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर बम रखना, डाकघर, तारघर आदि को बिस्फोटित करना आदि कार्यवाहियां की जा रही हैं।
- अपहरण करना और बन्धक बनाना इसके अन्तर्गत महत्वपूर्ण व्यक्तियों, राजनीतिज्ञों, अधिकारियों, शिक्षाविदों, प्रबन्धकों एवं उनके पारिवारिक सदस्यों का अपहरण करके सरकार से अपनी मांग मनवाये जाने के अनेक उदाहरण है, प्रायः मांग पूरी न होने की स्थिति में बन्धकों को मार भी दिया जाता है।

- सामूहिक नरसंहार इसका उद्देश्य जनता में दीर्घ पैमाने पर आतंक फैलाना होता है। इसमें बसों, ट्रेनों से यात्रियों को उतारकर गोलियां मार देना, जनता के भीड़–भाड़ वाले इलाकों में अंधाधुंध गोलीबारी करके लोगों को हताहत कर देने की कार्यवाही की जाती है।

नक्सलवाद के सम्बन्ध में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या नक्सलवाद राजनीतिक अस्थिरता पैदा करता है या राजनीतिक अस्थिरता नक्सलवाद को जन्म देती है। यदि हम यह मान लें कि नक्सलवाद आंतरिक अस्थिरता को जन्म देती है तो क्या यह एक प्राकृतिक आपदा है नहीं वस्तुतः यह समाज के अन्दर घट रही घटनाओं की प्रतिक्रिया होती है। अतः अगर कोई प्रतिक्रिया दिखाई दे रही हो तो अवश्य ही कोई न कोई पूर्वगामी क्रिया भी होगी। नक्सलवाद कानूनी व्यवस्था का सामान्य समस्या नहीं है और न ही अनिर्देशित उद्देश्यहीन हिंसा का भाग है, बल्कि इसका सुनियोजित लक्ष्य है इसलिए अनिवार्यतः किसी राजनीतिक क्रिया की ही प्रतिक्रिया होगी। अर्थात् करने का अभिप्राय यह है कि अगर किसी स्थान पर नक्सलवादी गतिविधियां हो रही है तो उसके बीज वहाँ की मिट्टी में अवश्य मौजूद होंगे। बाह्य घटक उसे एक सीमा तक प्रभावित कर सकते हैं इसे विकृत कर सकते हैं लेकिन उसे पैदा नहीं कर सकते। इस प्रकार नक्सलवाद के विकास के कारणों को हम इस प्रकार से चिन्हित कर सकते हैं।

1. प्रचलित सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था का पतन, आय विषमता, जातीय तनाव, मुद्रा स्फीति एवं बढ़ती आबादी।
2. असन्तोष की भावना लगातार व्याप्त होना और वैधानिक तरीके से इसका निराकरण न हो पाना।लोकतांत्रिक खुलेपन के कारण धन और हथियारों का आसानी से विदेशों से प्रवेश।
3. मानवाधिकारों व जनमत के प्रति संवेदनशीलता के कारण सशक्त कार्यवाही सम्भव न हो पाना।
4. प्रशासन की ढुलमुल नीति और गैर जिम्मेदार सरकार वह जो शासन तन्त्र पर जमी रहती है लेकिन उसके काम वास्तव में लोगों की उचित समस्या को सुलझाने की दिशा में नहीं होते।
5. अमीर गरीब के बीच की बढ़ती खाई या भू–स्वामियों तथा भू–मजदूरों के बीच का आर्थिक असन्तुलन भी नक्सलवाद का प्रमुख कारण है।
6. भारतीय राजनेताओं की ऐसी स्वार्थपरक राजनीति जिससे व्यक्तिगत स्वार्थों को देशहित से ऊँचा स्थान दिया जाता है इस समस्या को बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है। हमारे राजनेता चुनाव जीतने के लिए इन संगठनों की मदद लेते हैं और चुनाव जीतने के बाद इनकी मदद करते हैं।
7. बढ़ती बेरोजगारी जिसके कारण निरूद्देश्य युवा नक्सली आन्दोलन से आसानी से जुड़ जाते हैं क्योंकि रोजगार के कोई अन्य साधन न हो पाने के कारण वे इसे ही आय का जरिया बना लेते हैं।
8. भ्रष्ट राजनेता व प्रशासनिक अधिकारी जो पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए आने वाली राशियों को स्वयं डकार जाते हैं।
9. न्यायिक तन्त्र की असफलता जिसमें अक्षम न्यायिक और प्रशासनिक व्यवस्था लोगों को न्याय देने के स्थान पर उनका शोषण करती है जिसके कारण लोग नक्सलवाद की ओर आकर्षित होते हैं।
10. एक ओर हमारे सुरक्षा बलों के पास अत्याधुनिक अस्त्र–शस्त्रों का अभाव हैं वही दूसरी ओर उनकी कार्यवाहियों में बाधक बनने वाले राजनेताओं के आदेशों के कारण भी हमारे सुरक्षा बल नक्सली संगठनों को कुचलने के लिए प्रभावशाली कार्यवाही नहीं कर पाते।
11. समाज में हो रहे तीव्र सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लोगों में व्यक्तिगत असुरक्षा की भावना पैदा कर रहे हैं जिसके कारण व्यक्ति हिंसक साधनों की तरफ सहज ही आकर्षित होते हैं।

वस्तुततः आतंकवाद से निपटना किसी भी सरकार के लिए आसान नहीं होता है विशेष तौर पर लोकतांत्रिक व्यवस्था में तो यह बिल्कुल

ही आसान नहीं होता। नक्सली संगठनों की यह नीति होती है कि वे राज्य को अधिक से अधिक हिंसा करने के लिए उकसाये यदि सरकार उनके जाल में फंस जाती है तो वे अधिक से अधिक जनता की सहानुभूति पाने में सफल हो जाते हैं और यदि सरकार इस प्रकार की कार्यवाहियों के प्रति नरमी बरतती है या वह राजनीतिक रूप से जड़ हो जाती है तो नक्सलवाद को बढ़ावा देने का मार्ग प्रशस्त करती और इस तरह सरकार जनता की निगाह में अक्षम करार की जाती है। इसके विपरीत यदि सरकार कठोर और दमनकारी कार्यवाही करती है तो यह अपनी लोकप्रियता, समर्थन और वैधता खो देती है। ऐसे में नक्सलवाद की समस्या से निपटना बहुत नाजुक और मुश्किल काम होता है। विशेषकर भारत जैसे राष्ट्र की जनतांत्रिक व्यवस्था के लिए यह एक परीक्षण बन गया है कि किस प्रकार वह नक्सलवाद की समस्या हल करें।

प्रजातंत्र अपने प्रारम्भ में नक्सली आतंकवाद के प्रति पूर्णरूपेण सुरक्षित नहीं होता है स्वतंत्र समाचार जगत जो कि प्रजातंत्र का चौथा स्तम्भ कहलाता है प्रायः अलगाववादी गतिविधियों का खुलकर प्रचार करता है और नक्सली आम जनता में आतंक फैलाने के लिए इस माध्यम का सहारा अवश्य लेते हैं। साथ ही ये नक्सली समाज के असन्तुष्ट लोगों के दलों में घुसपैठ करने में सफल हो जाते हैं और वे उचित और अनुचित राजनीतिक मांगों के बीच अन्तर को समाप्त कर देते हैं और ऐसा करते समय उचित राजनीतिक मांगे मनवाने और नक्सली गतिविधियों के लिए सहानुभूति और समर्थनप्राप्त करने की कोशिश करते हैं। साथ ही लोकतांत्रिक समाज के खुलेपन के कारण विदेशी ताकतें भी अलगाववादी संगठनों को सहायता पहुँचाने के लिए घुसपैठ करने में सफल हो जाती हैं।

भारत जैसे प्रजातांत्रिक व्यवस्था वाले देश में जनता बहुत बड़ा शक्ति कारक है। अतः एक ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता महसूस की जा रही है जिसमें जनता सरकार का सहयोग करें किन्तु यह तभी हो सकता है जब सरकार की नक्सली प्रतिरोध व्यवस्था प्रभावशाली हो। आतंक प्रतिरोधी बल में कर्मठ और निपुण व्यक्ति हो और खुफिया व्यवस्था सुदृढ़ होना इसकी प्राथमिकता अनिवार्यता है। यदि जनता को उसकी सुरक्षा का आश्वासन मिल जाता है तो जनता सरकार का सक्रिय सहयोग करती है और सड़क जुलूस जैसे आन्दोलन इसके प्रत्यक्ष प्रमाण है।

प्रजातान्त्रिक व्यवस्था में नक्सलवाद से विरूद्ध लड़ाई राजनीति में अलग मुद्दा है। अतः इस समस्या से निपटने के लिए यह आवश्यक है कि राजनीतिक दल और नेता इस बात का आश्वासन दे कि वे इस प्रकार के नक्सली संगठनों को समर्थन न करें। नक्सली हिंसा से प्रभावित इन क्षेत्रों में सरकार द्वारा चलायी जा रही अनेक कल्याणकारी योजनायें भी इस समस्या को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। सम्भवतः हमारे राष्ट्र के नीति नियन्ता इस भ्रम की वामपंथी उग्रवाद का समाधान प्रशासनिक है अथवा विकास जैसे द्वन्द्व से ग्रसित दृष्टिगोचर हो रहे हैं। सरकार द्वारा नक्सलवाद को सीमित करने की दिशा में चलायी जा रही योजनाओं की विवेचना करने पर यह स्पष्ट हो रहा है कि नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में विकास के प्रयत्न नक्सलवाद सहायक हो रहे हैं। प्रमुख बात यह है कि नक्सलवाद सरकारी पैसे पर बढ़ रहा है। विकास पर किया जाने वाला अतिरिक्त व्यय नक्सलियों के आर्थिक संसाधनों में सहायक हो रहा है।

नक्सलवाद एवं तत्सम्बन्धित विषयों में जो भी पूर्ववर्ती अध्ययन हुए हैं वे क्षेत्र विशेष की विभिन्न परिस्थितियों के कारण हर स्थान के लिए प्रासंगिक नहीं है चूंकि नक्सलवाद एवं आंतरिक सुरक्षा का स्वरूप दिन–प्रतिदिन बदलता जा रहा है अर्थात समस्या की प्रकृति परिवर्तनशील है। अतः ऐसे में इस पर क्षेत्रवार निरन्तर शोध की आवश्यकता है। आज नक्सलवाद की समस्या आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था को इस स्तर तक प्रभावित कर रही है कि इसका तार्किक एवं व्यावहारिक निदान सरकार की प्राथमिकता बन गया है। इस समस्या को दूर करने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास की आवश्यकता है।

तीन स्तरीय रणनीति

विशेषज्ञों की राय में नक्सलवादियों से निपटने के लिए तीन स्तरीय रणनीति बनानी होगी। एक तो सुरक्षा को चाक–चौबंद करना और हर तरह की हिंसा की प्रतिकार की तैयारी, दूसरे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास योजनाओं और कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन और तीसरे सभी नक्सल समूहों से संवाद के क्रम में मानव अधिकार कार्यकर्ताओं का सहयोग लेने की सम्भावना पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए।

उपर्युक्त तीनों रणनीतियों के अलावा सरकार को चाहिए कि नक्सलियों को समाज की मुख्यधारा में लाने का प्रयास किया जाये। भूमि सुधार व जंगल कानून लागू किया जाये। प्राकृतिक संसाधनों पर स्थानीय आदिवासियों के अधिकारों का संरक्षण किया जाना चाहिए। मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर प्रभावी रोक लगाई जानी चाहिए। सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों को वरीयता दी जाए। सामाजिक व्यवस्था में सामंतवादी मानसिकता व आर्थिक साधनों पर वर्ग विशेष का आधिपत्य समाप्त किया जाये। जनजातीय क्षेत्रों में स्थानीय लोगों की सहमति से सेज व पॉवर प्लांट लगाए जाएं, सड़कों का विकास किया जाय। सभी को शिक्षित करने के साथ–साथ प्रशासन को स्थानीय स्तर पर पंचायती सरकारों में विकास की योजनाओं में नक्सलियों की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। गैर सरकारी संस्थाओं और स्वयं सहायता समूहों को इन क्षेत्रों में कार्य करने के लिए प्रोत्साहन एवं संरक्षण प्रदान करना चाहिए।

उपर्युक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि नक्सलवाद की चुनौती देश में व्याप्त सामाजिक–आर्थिक असमानता और असंतुलित नीतियों के कारण ही है। अगर सरकार मानवीय आधारों पर विकास की योजनाओं को ईमानदारी से लागू करने में सफल होती हैं तो नक्सलवाद समाप्त किया जा सकता है। परन्तु दूसरे नजरिये से देखें तो आने वाले दिनों में यदि मौजूदा आर्थिक नीतियां बदस्तूर जारी रहती हैं तो भारत के नक्सलवादी माओवादी समस्या सिर्फ भारत की आंतरिक सुरक्षा का मामला भर नहीं रह जायेगा। समूचे विश्व में जीवन स्तर, अवसर और संसाधनों से वंचित समूह अपने–अपने देशों की सरकारों को कमजोर और अस्थिर करेंगे तथा इन गुटों में आपसी सम्पर्क बढ़ने से समूचे वैश्विक सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो जायेगा। नक्सलवादी संघर्ष 21वीं सदी में होने वाले संघर्षों की पूर्व सूचना भी हो सकता है। अतः समय रहते विश्व के देशों को भी अपने यहां सामाजिक, आर्थिक नीतियों में व्यापक बदलाव लाकर वंचित समूहों को उनके जीवन स्तर, अवसर, संसाधनों तक पहुंच को उपलब्ध करना होगा। प्रक्रियात्मक न्याय के साथ–साथ तात्विक न्याय को भी सफलतापूर्वक कार्यान्वित करना होगा तभी वैश्विक शांति का स्थापना फलीभूत हो पायेगा।

सुझाव :

1. नक्सलवाद के सामाजिक–आर्थिक कारणों से निपटने की कुंजी सुशासन और विकास कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन में निहित है।
2. केन्द्र सरकार नक्सली हिंसा को कानून–व्यवस्था की समस्या मानती है, इसे सामाजिक–आर्थिक समस्या के रूप मे भी सुलझाने की जरूरत हैं
3. नक्सली खतरे से राजनीतिक सुरक्षा एवं विकास तथा लोक अवधारणा प्रवर्धन के मोर्चे पर एक साथ समग्र रूप से निबटना चाहिए।
4. जब तक नक्सलवादी हिंसा एवं शस्त्रों का परित्याग करने के लिए सहमत नहीं होते तब तक प्रभावित राज्यों द्वारा उनसे किसी भी प्रकार की शान्ति वार्ता नहीं की जानी चाहिए।
5. राजनीतिक दलों को नक्सलवाद से प्रभावित राज्यों में अपने कार्यकर्ताओं को सुदृढ़ बनाना चाहिए ताकि वहां की युवा पीढ़ी को नक्सलवादी विचारधारा के रास्ते से हटाये जा सके।
6. जहाँ नक्सलवादी गतिविधियाँ अथवा प्रभाव की सूचना है, परन्तु नक्सलवादी हिंसा की नहीं, वहां एक पृथक दृष्टिकोण अपनाना होगा, जिसमें पिछड़े इलाकों के त्वरित सामाजिक–आर्थिक विकास तथा गैर सरकारी

संगठनों, बुद्धिजीवी वर्ग, नागरिक, स्वतंत्रगत समूहों इत्यादि के साथ नियमित सम्पर्क बनाये रखने पर विशेष ध्यान केन्द्रित करना होगा ताकि नक्सलवादी विचारधारा तथा गतिविधियों को मिलने वाले खुले समर्थन को कम किया जा सके।

7. नक्सलवादियों के विरूद्ध स्वैच्छिक स्थानीय प्रतिरोधी समूहों को बढ़ावा देने के प्रयास जारी रखे जाने चाहिए।
8. नक्सलवादी विचारधारा तथा हिंसा की निरर्थकता एवं इससे होने वाली जीवन एवं सम्पत्ति की क्षति का तथा प्रभावित क्षेत्रों में सरकार की विकास योजनाओं का प्रचार करने के लिए मीडिया का व्यापक उपयोग किया जाना चाहिए ताकि सरकारी तंत्र में लोगों की आस्था एवं विश्वास को बहाल किया जा सके।
9. भूमि सुधारों के त्वरित कार्यान्वयन के एक भाग के रूप में भूमिहीन निर्धन लोगों का भूमि वितरित करने और सड़क, संचार, विद्युत आदि जैसी भौतिक अवस्थापना का विकास सुनिश्चित करने एवं युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए।
10. नक्सली भय के कारण जो ठेकेदार व कर्मी विकास कार्य करने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं उनके लिए पर्याप्त सुरक्षा के उपाय किये जाने की आवश्यकता है।
11. केन्द्र सरकार को सुरक्षा तथा विकास दोनों मोर्चों पर प्रभावित राज्यों के प्रयासों एवं संसाधनों में सहयोग करना जारी रखना होगा तथा इस अवस्था में सफलता पूर्व निबटने के लिए राज्यों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना होगा।

उपरोक्त सुझावों के अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि राज्यों के सुरक्षा बलों की प्रशिक्षित इकाईयां तैयार करने के लिए जो धन केन्द्र सरकार ने खर्च करने का आश्वासन दिया है उसे विशेष पैकेज के रूप में तत्काल राज्यों को सौंप दिया जाय और इस धन का ये राज्य सरकारें परिवहन तथा संचार व्यवस्था सुधारने तथा शिक्षा की सुविधायें बढ़ाने तथा बेरोजगारी खत्म करने पर खर्च करें क्योंकि विकास कार्यों की कमी के कारण ही नक्सलाद को पनपने में सहायता मिल रही है। राज्य सरकारें भरपूर विकास कार्य करें और केन्द्रीय सुरक्षा बल इनके विरूद्ध जोरदार कार्यवाही, तभी इस समस्या से निजात मिल सकती है।

सन्दर्भ सूची :–

1. जौहरी जे.सी. भारत में नक्सली राजनीति, संविधान और संसदीय अध्ययन संस्थान, द्वारा नई दिल्ली, अनुसंधान प्रकाशन, 1972 द्वारा प्रकाशित।
2. दासगुप्ता बिप्लब नक्सली आंदोलन, 1974 में प्रकाशित।
3. घोष, शंकर, नक्सली आंदोलनः एक माओवादी प्रयोग, फिरमा के.एल. द्वारा प्रकाशित मुखोपाध्याय, 1975. आईएसबीएन 0883865688।
4. जावेद, सोहेल, भारत में नक्सली आंदोलनः पश्चिम बंगाल में माओवादी क्रांतिकारी रणनीति की उत्पत्ति और विफलता, 1967–1971, एसोसिएटेड पब द्वारा प्रकाशित हाउस, 1979.
5. बनर्जी सुमंत, नक्सलबाड़ी के वेक मेंः भारत में नक्सली आंदोलन का एक इतिहास, सुवर्णरेखा द्वारा प्रकाशित, 1980।
6. बनर्जी सुमंत, भारत की सिमरिंग क्रांतिः नक्सली विद्रोह, जेड बुक्स द्वारा प्रकाशित, 1984।
7. ड्यूकर एडवर्ड ट्राइबल गुरिल्लासः द सैंटल्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड द नक्सली मूवमेंट, द्वारा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 1987 द्वारा प्रकाशित।
8. सिंह प्रकाश द नक्सली मूवमेंट, इन इंडिया, पब्लिश्ड बाय रूपा, 1995।
9. भाविक सुबीर, विद्रोही क्रॉसफायर, नई दिल्ली लांसर पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली 2001।
10. दीक्षित जे.एन. भारत की विदेश नीति और पड़ोसी देश ज्ञान पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली, 2001।
11. शौरी अरुण, ए सेक्युलर एजेंडा फॉर सेविंग अवर कंट्री, एएसए पब्लिकेशन नई दिल्ली, 1993।
12. भारत में कुजूर रजत नक्सल आंदोलनः एक प्रोफाइल आईपीसीएस शोध पत्र, सितंबर 2008।
13. चंद्रन सुधा और जसेफ मल्लिका इंडियाः द नक्सली मूवमेंट, सर्चिंग फॉर पीस इन सेंट्रल एंड साउथ एशिया, 2002।
14. मोहंती माउ राजन, नक्सलवाद का पाठ्यक्रम, 22 सितंबर, 2005, हिंदू पत्रिका।
15. बनर्जी सुकनी, मर्करी राइजिंगः इंडियाज लूमिंग रेड कॉरिडोर, साउथ एशिया मॉंटिटर, संख्या 123, 3 अक्टूबर 2008।

16. गुप्ता कंचन, नक्सल, भारत की ऊर्जा नवंबर 25, 2004 के भीतर।
17. घोष, सुनीति कुमार इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल बिट्रेड, कलकत्ता, रुपया 1998.
18. राम मोहन, भारत में माओवाद, विकास प्रकाशन दिल्ली, 1971।
19. रे रबींद्र, नक्सली और उनकी विचारधारा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस दिल्ली 1988।
20. रामकृष्णन वेंकटेश (2005–09–21) ‘‘नक्सली चुनौती’’ फ्रंटलाइन पत्रिका (द हिंदू) 2007–03–15 को पुनःप्राप्त.
21. ‘‘भारत में राइजिंग माओवादी विद्रोह’’ वैश्विक राजनीतिज्ञ 2007–01–15। 2009–03–17 को लिया गया।
22. फिलिप बॉरिंग प्रकाशितः 18 अप्रैल, 2006 (2006–04–18) ‘‘माओवादी जो भारत को खतरे में डालते हैं’’ इंटरनेशनल हेराल्ड ट्रिब्यून 2009–03–17– को पुनः प्राप्त।
23. ‘‘क्या नक्सली नेकी की राह पर हैं...?’’ एशियन ट्रिब्यून। 2009–03–17 को लिया गया।
24. ‘‘दक्षिण एशिया सीनियर माओवादी भारत में ‘गिरफ्तार’’’ बीबीसी समाचार। 2007–12–19 2009–03–17 को लिया गया।
25. दीवानजी, ए.के. (2003–1–02) ‘‘प्राइमरः नक्सली कौन हैं?’’ 2007–0, 3–1 को पुनःप्राप्त.
26. नक्सलियों को जल्द बाहर निकालने के लिए समन्वित अभियान इकोनॉमिक टाइम्स, 6 फरवरी, 2009।